कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-1851

सेवा में,

सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक,
जिला वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-21/08/26

विषयः- त्यागपत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि कई शिक्षकों द्वारा कार्यालय अथवा विद्यालय में पद त्याग करने की सूचना उपलब्ध कराई गई है। कार्यालय को प्राप्त ऐसे आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षकों का त्यागपत्र स्वीकृत किया जा चुका है। हाल ही में वर्ष 2024 में पद त्याग किए हुए एक शिक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में परिवाद दायर किया गया है कि उनका त्यागपत्र अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है एवं उनका विद्यालय में पुनः योगदान करवाया जाए, जबकि उक्त शिक्षक का त्यागपत्र प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय के द्वारा पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है।

उक्त के आलोक में आप सभी को निदेशित किया जाता है कि पूर्व में पद त्याग किए हुए संबंधित शिक्षकों का त्यागपत्र का स्वीकृति पत्र यदि अब तक कार्यालय से आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो अविलंब संचिका प्रभारी श्री अभिषेक कुमार, स्थापना संभाग, से मिलकर संबंधित शिक्षक के त्यागपत्र की प्रति प्राप्त कर लें। इसे संबंधित शिक्षक को अनिवार्य रूप से किसी भी माध्यम से उपलब्ध कराते हुए उसका साक्ष्य विद्यालय में संधारित कर लेंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि माननीय न्यायालय द्वारा इसके विपरीत कोई आदेश निर्गत किया जाता है तो प्रथम दृष्टया संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

वैसे शिक्षक जो भविष्य में अपना पद त्याग करेंगे वे सीधे संबंधित संचिका प्रभारी अथवा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना से मिलकर त्यागपत्र का स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही विद्यालय छोड़ेंगे एवं संबंधित शिक्षक की जवाबदेही होगी कि ससमय अपना त्यागपत्र की स्वीकृति पत्र कार्यालय अथवा विद्यालय से प्राप्त कर लेंगे। साथ ही वैसे शिक्षक जिन्होंने पद त्याग करने हेतु कार्यालय अथवा विद्यालय को आवेदन उपलब्ध कराया है उनका त्यागपत्र आवेदन समर्पित करने की तिथि से स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा एवं भविष्य में पुनः योगदान करने का दावा यदि किया जाता है तो वह किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

विश्वासभाजन

21.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-1851 हाजीपुर दिनांकः-21/08/26

प्रतिलिपिः-सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ सभी सरकारी विद्यालय के शिक्षक/ पूर्व में पद त्याद कर चुके निवर्तमान शिक्षक, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।